संख्या–557 / 78–2–2013–55आई.टी. / 2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2013

विषय :ई–डिस्ट्रिक्ट एम.एम.पी. अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों को स्वीकृति / मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के अ.शा.प. सं.–3(77) / 2008ई.जी.II दिनांक 24.01.2013 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्राधिकारियों द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड योजनान्तर्गत निर्गत किये जा रहे डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों को स्वीकृति / मान्यता प्रदान नहीं किये जाने को संज्ञान में लेते हुये आई.टी. एक्ट 2000 एवं आई.टी. (अमेन्डमेन्ट) एक्ट 2008 के कमशः सेक्शन–III एवं सेक्शन 3(ए) के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी रूप में मान्यता प्रदान करने एवं उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर इलेक्ट्रानिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रानिक्स प्रमाणीकरण तकनीक करने का उल्लेख किया है कि निर्गत प्रमाणपत्रों को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति / मान्यता प्रदान करने के लिये उनको आवश्यक निर्देश देने एवं डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग हेतु जागरूकता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– डी.आई.टी., भारत सरकार द्वारा ई–गवर्नेन्स में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग सम्बन्धी गाइडलाइन्स यू.आर.एल. http:/egovstandards-go-in/guidelines%2ofor%20Digital-signature/view पर उपलब्ध कराई गई हैं।

3– राज्य में उपरोक्त योजना के अतिरिक्त एस.एस.डी.जी., स्टेट पोर्टल एवं ई–फार्म्स योजनान्तर्गत भी ई–डिलीवरी के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निर्गत किये जा रहे हैं तथा ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विद्यालयों / महाविद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर इस प्रकार निर्गत प्रमाणपत्रों को स्वीकृति / मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है।

कमशः...2

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने स्तर से जनपद में उन समस्त सम्बन्धित प्राधिकारियों, जहाँ आवेदकों द्वारा इन योजनाओं में प्राप्त किये गये डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किया जाता है, को स्वीकृति/मान्यता प्रदान करने के लिये यथावश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा साथ ही डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

सँख्या : 557(1)/78—2—2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स; उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
2. श्री एस.बी.सिंह उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

आ० सं० 28 / 18-2-2013

Dr. Rajendra Kumar, IAS
Ph.D (MIT, USA)
Joint Secretary
दूरभाष/Tele: E-mail: jsegov@mit.gov.in
24363075/Fax No. 24363099
अ०स० पत्र स० : No. 3(77)/ 2008 EG II
D.O.NO.........................

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन/ELECTRONICS NIKETAN
6,सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स / 6,C.G.O. COMPLEX
नई दिल्ली /New Delhi-110003
Website : www.deity.gov.in

दिनांक/Dated 24.01.2013

Sub: Acceptance of Digitally Signed Certificate issued as part of e-District MMP

Dear Shri Nandan,

Reference is invited to D.O. No. 3(77)/ 2008 EG II dated 06.01.2011 (Letter enclosed) regarding above mentioned subject, it has been brought to our notice that authorities are not accepting the digitally signed documents.

2. This is to bring to your kind attention that as per section III of IT Act 2000 (21) of 2000 published in the Gazette of India on 9[th] June 2000, digital signature has been recognized as legal signature.

520/PSSI/2013

"3. *The manner in which information be authenticated by means of Digital Siganture.- A digital signature shall,-*

(a) be created and verified by cryptography that concerns itself with transforming electronic record into seemingly unintelligible forms and back again;

(b) use what is known as "Public Key Cryptography", which employs an algorithm using two different but mathematical related "keys" – one for creating a Digital Signature or transforming data into a seemingly unintelligible form, and another key for verifying a Digital Signature or returning the electronic record to original form,

DS(K)

05-2-13

the process termed as hash function shall be used in both creating and verifying a Digital Signature.

Explanation: Computer equipment and software utilizing two such keys are often termed as "asymmetric cryptography"".

3. Further IT (Amendment) Act 2008 published in the Gazette of India on 5[th] February, 2009 inserted section 3(a) which enlarged the scope of digital signature to electronic signature or electronic authentication technique.

6/2/13

(जी० पी० कमल)
उप सचिव
आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ० प्र० शासन।

06.02.13

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
National e-Governance Plan

Public services closer home

4. It may be noted that DIT has already published "Guidelines for Usage of Digital Signatures in e-Governance" available on website http://egovstandards.gov.in/guidelines/Guidelines%20for%20Digital-signature/view

5. In view of above, it is requested to kindly issue appropriate instructions to the concerned authorities for acceptance and processing of the digitally signed certificates submitted by the applicants. It is further requested to kindly take suitable measures to increase awareness on the usage of digital signature.

Regards,

Yours sincerely,

(Dr. Rajendra Kumar)

To,
Shri Jivesh Nandan
Principal Secretary, Information Technology and Electronics
2nd Floor, C- Block, Room No: 101, Bapu Bhawan
1st Floor Luknow, Uttar Pradesh 226001